चाहता हूं कि चूंकि कुछ लोग सूची से निकाले जा रहे हैं, इसलिए यह विरोध है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): What is the use of this division? We are not interested in a division. We protest against the way it is being done. We can have voice vote.

श्री मीठा लाल मीना (सवाई माधोपुर): जो बिल भेजा गया है, वह अंग्रेजी में है। हिन्दी में भी बिल भेजा जाना चाहिए।

श्री मधु लिमये: मैं केवल सिद्धान्त के लिए विभाजन चाहता था। हमारा विरोध इनक्लूजन से नहीं है, बल्कि कुछ जातियों के एक्सक्लूजन से है। इस लिए आप इस विभाजन को छोड़ दीजिए।

Dr. Ram Subhag Singh: No, we want division.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, for the readjustment of representation, and redelimitation of Parliamentary and Assesmbly Constituencies in so far as such readjustment and re-delimitation are necessitated by such inclusion or exclusion and for matters connected therewith".

Those who are in favour of the motion will please say 'aye'.

Several hon. Members: 'Aye'.

Mr. Speaker: Those who are against the motion will please say 'no'.

Some hon. Members: 'No'.

Mr. Speaker: The 'ayes' have it; the 'ayes' have it.

Dr. Ram Subhag Singh: We want division.

Mr. Speaker: When I have said 'ayes' have it, 'ayes' have it. there is no question of division. Leave is granted.

The motion was adopted.

1926 (Ai) LSD—3.

Shri Raghu Ramaiah: I introduce the Bill.

13.03 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

STATUTORY RESOLUTION RE: LEVY OF EXPORT DUTY ON IRON ORE

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प पेश करता हूं कि:

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 (1934 का संख्या 32) की धारा 4क की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क लगाने के बारे में भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की दिनांक 24 जुलाई 1967 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2461 का अनुमोदन करती है।"

श्री मधु लिमये (मुंगेर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कानून, नियम और संविधान। मैं आपका ध्यान.....

श्री रणधीर सिंह (रोहतक): कार्रवाई में रोक लगाना चाहते हैं? यह क्या है?

श्री मधु लिमये: क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूं?

श्री रणधीर सिंह: मैंने समझ लिया।

श्री मधु लिमये: बड़े समझदार आदमी हैं। मेरे बोलने के पहले ही समझ लिया।

Mr. Deputy-Speaker: The free-for-all style debate is over now. We are abiding by the rules and the procedure. We want to conduct business.

श्री मधु लिमये : मेरी व्यवस्था की फार आल, डिवेट नहीं है। नियम और संविधान के अनुसार है। मैं आपका ध्यान निर्देश संख्या 9 (ए) की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह जो संकल्प है . . .

Shri Randhir Singh: These are dilatory tactics.

श्री मधु लिमये : यह कानूनी संकल्प है, और इसके लिये आपके द्वारा यह निर्देश है। मैं पहला छोड़ता हूं कि बैलट न किया जाये। दूसरे में यह है कि :

"If the Speaker admits notice of such a resolution, it shall be immediately notified in the Bulletin under the heading 'Statutory Resolution' and a copy thereof sent to the Government."

मुझे पता नहीं कि यह बुलेटिन में आया था या नहीं। हो सकता है कि मेरे ध्यान में न आया हो, लेकिन आया है ऐसा मान कर मैं चलता हूं। अब आप (3) को देखिये :

"The Speaker may after considering the state of business in the House and in consultation with the Leader of the House allot a day or days or part of a day for the discussion of any such Resolution."

मैं आप की इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि (9) (ए) (3) के तहत क्या इस संकल्प के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है ताकि हम इस पर बोलें ? इस लिये जानकारी के लिये मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं।

संसद कार्य तथा संसदीय मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो चर्चा का विषय था वह हो चुका है। जैसा आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आज यह अधिवेशन समाप्त किया जाये और जो कागज पेश किया गया था वाणिज्य मन्त्री की ओर से उसको पन्द्रह दिन के अन्दर आना चाहिये। ऐसी हालत में मैं निहायत अदब से श्री मधु लिमये जी से निवेदन करूंगा कि यदि आज यह पास हो जाता तो अच्छा होता। हां, इस पर एक एक दो दो मिनट कोई कुछ कहना चाहे तो बात दूसरी है।

श्री मधु लिमये : क्या एक एक दो मिनट का समय अब मन्त्री महोदय निर्धारित करेंगे ? मैंने नियम बतलाया है। आप सुनिये : "स्पीकर इज कन्सल्टेशन विथ दी लीडर आफ दि हाउस"। मन्त्री महोदय न तो स्पीकर हैं और न लीडर आफ दि हाउस हैं। आगे बोलेंगे तो मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन आज नहीं हैं।

Mr. Deputy-Speaker: The Minister of Parliamentary affairs has accepted your contention. But we are pressed for time. Several members have written to me. I will allow you two or three minutes to make a few observations.

श्री मधु लिमये : मुझे को सात-आठ मिनट चाहियें।

Shri Virendrakumar Shah (Junagadh): Mr. Deputy-Speaker, I would have expected the Minister to give us some reasons as to why he wants to increase his excise duty and I had expected from him some more information how government proposed to expand this trade and increase iron ore export. Instead of that, it seems the hon. minister is interested only in getting a little more excise duty. I would rather suggest that he should concern himself much more with development of mining and development of export. We are exporting ten million tons of iron ore and our target is to export 25 million tons a year by the end of the Fourth Plan.

The team invited by his own ministry one year ago, Batelle Memorial Institute, U.S.A. report suggested that the way in which the Government is going it will not be able to reach even 18 million tonnes of export.

These are the things which should exercise his mind rather than increase of

excise or export duty. Our share in the Japanese market has come down from 20 per cent to 12 per cent. I will just read out one or two extracts from the Batelle Memorial report to the Government. It said :—

"For India to face this competition successfully, there should be a change in the organisational structure of the iron ore mining and export programme."

It also says :—

"The team has stressed that the export programme will not be successful unless the element of transport cost is drastically reduced."

Here they are trying to increase the cost by first bringing the duty of Rs. 10 and then of raising it to Rs. 10/50. It further says that you need a capacity of handling at least 2,500 tonnes of iron ore per hour etc. This facility should be given or developed.

Similarly, the National Resources Committee of the Planning Commission urged the Government a year ago that the price of Indian ore should be competitive in the world market. Instead, by having this duty we are making it more un-competitive. I would suggest that there should be no duty and more money should be made available to mine-owners so that they could develop their mines, buy sophisticated equipment and stand in the world market. Just as in the case of jute the hon. Minister evaded the issue—he has rather developed the practice of giving evasive replies—he has avoided the issue here also. We are losing the market for iron ore and that is why we should develop iron ore mining as recommended by the Batelle Memorial team and their own National Resources Committee of the Planning Commission. For that the mine-owners should have more money.

I am told that even to modernise the mining equipment, for which they are exporting millions of dollars worth of iron ore, it takes months before there is approval coming from the Ministry of Commerce or the Ministry of Industry of whatever the Ministry is.

I am also told that there is a consultative committee of mine-owners and the MMTC for manganese ore exports but there is no such committee for iron ore exports I do not know whether the MMTC thinks itself so highly qualified that it does not need to consult the mine-owners.

So, I would rather submit to the Minister that instead of going ahead with the idea of levying further duty he should do two things—firstly, totally eliminate the duty and, secondly, immediately exercise his mind and concern himself—he is going to have a respite from tomorrow—in finding out how the mining of iron ore could be further developed and how our exports can increase.

श्री मधु लिमये : मेरे सामने यह 23 मई का इकानोमिक टाइम्ज है।

व्यापार मन्त्री श्री दिनेश सिंह के जो सुझाव हैं उनके बारे में इस में लिखा गया है।

श्री दिनेश सिंह ने कहा है :

"The STC and MMTC should evolve suitable norms so that they could measure their efficiency."

मेरा खयाल है कि यह गलत रपट नहीं है। मेरे पास कई दिन से शिकायतें आ रही हैं। मैं केवल यह लोहे की जो मिट्टी होती है उसके निर्यात के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मेरे पास शिकायतें आई हैं कुछ दिन पहले—एम० एम० टी० सी० जो कि एस० टी सी० का पुत्र है और एस० टी सी० के सारे दुर्गुण और दोष इस पुत्र में भी आ गए हैं उसके बारे में। लोहे की मिट्टी के निर्यात के बारे में अभी जापानियों के साथ इन्होंने जो करार किया था उस में दाम निश्चित करते समय जो सावधानी बरतनी चाहिये थी उसको एम० एम० टी० सी० के द्वारा नहीं बरता गया है जिसके फलस्वरूप दस करोड़ से ले कर ग्यारह करोड़ का घाटा हिन्दुस्तान को हुआ है। उसके बाद मैं ने इसे अखबारों में देखा है। खास कर जो

[श्री मधु लिमये]

वित्तीय अखबार हैं उन में भी इस बात की चर्चा हुई थी। मेरा खयाल था कि इस सत्र के अवसान के पहले व्यापार मंत्री जो इस तरह की गम्भीर शिकायतें होती हैं उनके बारे में कुछ न कुछ सफाई करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इसी तरह की सफाई पेश करने के बजाय आज वह एक संकल्प ले कर आए हैं और गजट में मैंने इसके बारे में देखा है कि शायद पचास पैसे की एक्सपोर्ट ड्यूटी वह बढ़ाना चाहते हैं। मैं मंत्री महोदय से जो बातें पूछना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि क्या लोहे की मिट्टी के निर्यात के बारे में इस तरह की धांधली या इस तरह का घोटाला एम० एम० टी० सी० के द्वारा हुआ है?

मैं मानता हूं कि पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी इसके बारे म जांच करेगी लेकिन क्या मंत्री जी का फर्ज नहीं है कि वह स्वयं इस बात की जांच करें और इस सदन को उस जांच के नतीजों से अवगत करायें, असली बात को बतायें?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ड्यूटी बढ़ाने के बजाय अगर मन्त्री महोदय एस० टी० सी० और एम० एम० टी० सी० के जो खर्चे बढ़ रहे हैं उनकी ओर ध्यान देते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मेरी समझ में नहीं आता है कि एस० टी० सी० के जो चेयरमैन हैं या एम० एम० टी० सी० के जो चेयरमैन हैं उनको विलायत से मंगाई हुई गाड़ी में बैठ कर अपना काम करने की क्या आवश्यकता होती है? क्या हिन्दुस्तान में जो गाड़ियां पैदा होती हैं, स्टैण्डर्ड है, फियेट है, एम्बसेडर है...

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह: मिनिस्टर उन्हीं में बैठते हैं।

श्री मधु लिमये: मैं अगर मिनिस्ट्रज की चर्चा करूंगा तो उपाध्यक्ष महोदय कहेंगे कि आप बात जो है उससे दूर जा रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह: वहीं से तो सीखते हैं।

श्री मधु लिमये: इसलिए मैं इन दोनों संस्थानों के जो चेयरमैन हैं उनकी चर्चा करता हूं। दिनेश सिंह जी यह न समझें कि वह इन में शामिल नहीं हैं वह भी हैं। हमारा जो यह सरकारी क्षेत्र है उसको देख कर कभी कभी हम को ऐसा लगता है कि भूतपूर्व व्यापार मंत्री और वर्तमान व्यापार मन्त्री और एस० टी० सी० और एम० एम० टी० सी० आदि सब के जो व्यवस्थापक लोग हैं क्या ये स्वतन्त्र पार्टी के छिपे हुए मैम्बर तो नहीं हैं? मैं कारण बताता हूं। निजी क्षेत्र के एक आरोप यह रहता है कि सरकारी क्षेत्र निकम्मा होता है, उसमें कार्यक्षमता नहीं होती है, फिजूलखर्ची होती है। कभी कभी हम को ऐसा लगता है कि व्यापार मन्त्री और सरकारी क्षेत्र के जो मैनेजर आदि लोग हैं, चेयरमैन आदि हैं, डरेक्टर आदि लोग हैं इन सब ने मिल कर कहीं स्वतन्त्र पार्टी की या फोरम अफ फ्री एंटरप्राइज की सदस्यता तो नहीं ले ली है? क्या सरकारी क्षेत्र को बदनाम करने के लिए और हमेशा के लिए समाजवाद और सार्वजनिक क्षेत्र हिन्दुस्तान में बदनाम हो जाए उसके लिए इन लोगों ने अपनी ट्रेड यूनियन तो नहीं बना ली है।

इसलिए इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय यह बतायें कि ड्यूटी बढ़ाने का नतीजा क्या निकलेगा निर्यात व्यापार पर, विदेशी मुद्रा जो हम कमाते हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप यह भी देखें कि पब्लिक अंडरटेकिंग्ज ने एक सुझाव दिया था कि इन दो को एक किया जाय इन संस्थानों को अलग क्यों किया गया? प्रतिष्ठानों को अलग करने का मतलब होता है कि हर एक के मैनेजिंग डिरेक्टर और बोर्ड आफ डिरेक्टर और अधिकारी रहेंगे और जो बड़े अफसर हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा और

उससे घाटा हो सकता है । मैं चाहता हूं कि इसकी सफाई हो ।

Shri S. Kundu (Balasore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this Resolution seeks to increase the levy on export of iron ore. The export of iron ore, as I feel it, faces a serious crisis from the new challenges which it is receiving in India and from outside. The Japanese and the American teams have come to India and have said that the price of iron ore is not competitive. They have said that there is no facility in India to load 4,000 tonnes of iron ore per hour and that there is no port which can take in ships of about 60,000 tonnes. Aslo, they have said that there is no assurance for continuous supply.

I would like to draw your attention to the fact that export which increased during the last few months to 18 per cent is likely to fall down largely because Brazil, Australia and other countries are going to supply it to Japan on compatitive price and give a continuous supply of quality ore. Therefore, I would like to say without increasing this export levy, the Minister could have made some sort of internal economy and tried to reduce the cost per head which in turn could have given some sort of boost to our export; but I am afraid this will not promote our export possibilities.

Secondly, I would like to say one thing. During the six months, out of the total iron ore that has been exported or mined, the largest supply has been from Orissa. About one-third of the total production comes from Orissa. The Orissa Government has been writing to the Central Government to increase its tax or levy at the mining head, and the Central Government is not doing that. Thereby, the revenue to the Orissa Government is also decreasing, and so, the entrepreneurs are not enthusiastic. The enthusiasm of the people of Orissa who could gain by boosting the export of iron ore from Orissa is not forth coming.

Incidentally also, I would like to refer to the port of Paradeep. It is a strange thing in the planning. Where you have a port, but you do not have the rail link. There is a recommendation that Paradeep is the only good port where 60,000 ton ships could operate. It is therefore necessary that a road and rail link should be taken up along with the port project. But it is not that a road and rail link should be taken up and the American team are not assured of the quantity of supply that can be made to them. In India, in regard to food-grains, we live from ship to mouth; so they say. In Japan, in regard to iron ore it is also from ship to factory. They have no iron ore; so, unless they get a continuous supply of iron ore, they are not going to take iron ore from us. So, I would like the hon. Minister to consider these points and give a good reply.

श्री दिनेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में अभी जो वाद-विवाद हुआ है, उससे मालूम होता है कि इस बारे में कुछ ग़लतफहमी है । मैं समझता हूं कि यह अच्छा है कि आपने मौका दिया कि मैं उसको साफ़ कर दूं ।

आप जानते हैं कि जब हमारे रुपये का अवमूल्यन हुआ, तो डालर में जो पहले मिलता था, वह अवमूल्यन के बाद 57½ परसेंट बढ़ गया । उस हिसाब से यह सोचा गया कि जो लोग आयरन ओर का निर्यात करते हैं , उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, इसलिए उसमें कुछ कमी की जाये । इस दृष्टि से सब तरह के आयरन ओर पर 10 रुपये प्रति टन ड्यूटी लगाई गई । उसके बाद जब लोगों ने काफ़ी रिप्रेजेन्टेशन दिये कि बहुत ज्यादा ड्यूटी लग गई है, उसको कुछ कम किया जाये, तो सरकार ने इस की ड्यूटी कम की ।

उप-प्रधान मन्त्री ने इस सदन में 24 जुलाई को भाषण देते हुए इस सम्बन्ध में पूरा विवरण दिया था और इस सदन में इसके बारे में पूरी चर्चा हो चुकी थी, इसलिए मैंने इस पर कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा । उन्होंने इस सदन मे बताया था कि जिस आयरन

[श्री दिनेश सिंह]

ओर में 62 फ़ीसदी से ज्यादा आयरन है, उसकी ड्यूटी 10 रुपये से 10 रुपये 50 पैसे प्रति टन बढ़ाई गई। लेकिन उसके साथ साथ निर्यात ड्यूटी में यह कमी भी की गई कि जिस आयरन ओर में 60 फ़ीसदी से 62 फ़ीसदी आयरन ओर है, उसकी ड्यूटी 10 रुपये से 9 रुपये कर दी गई और जिस आयरन ओर में आयरन 60 फ़ीसदी से कम है, उसकी ड्यूटी 10 रुपये से 7 रुपये 50 पैसे कर दी गई। इसी तरह 62 फ़ीसदी से कम आयरन वाले और आयरन ओर फ़ाइन्ज़ की ड्यूटी 4 रुपये से 3 रुपये कर दी गई।

इसलिए मैं माननीय सदस्य, श्री मधु लिमये, को बताना चाहता हूं कि विलायती मोटरों के लिए या तनख्वाहों के लिए ड्यूटी बढ़ाई नहीं गई, बल्कि वह कम कर दी गई। यह अन्दाजा लगाया गया है कि पिछले साल की तुलना में इस साल ड्यूटी से रेवेन्यु 123.23 लाख रुपये कम होगा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वह अच्छी तरह से समझ लें कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है, उसमें कोई मोटर नहीं आने वाली है।

श्री मधु लिमये : मैं जानता हूं, लेकिन अपनी बातों को कहने का यह अवसर था।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने तो इस अवसर से फ़ायदा उठा लिया। अब मैं भी इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश में हूं।

जहां तक ड्यूटी का सवाल है, वह कम हुई है और फ़िनांस मिनिस्ट्री ने उसका एलान कर दिया है। ड्यूटी बढ़ाने का काम मेरे जिम्मे में पड़ा है, जिस को मैं आज कर रहा हूं।

जहां तक एम० एम० टी० सी० और एस० टी० सी० के काम का सम्बन्ध है, उसके बारे में पूरी बहस हो चुकी है। मैंने उसके सम्बन्ध में पूरी तरह से बताने की कोशिश की है।

माननीय सदस्य, श्री मधु लिमये, ने कहा कि शायद हम लोग स्वतन्त्र पार्टी के छिपे हुए सदस्य हैं। मैं उनसे यही कहूंगा कि प्रदेशों में उनके जो नये नये मिनिस्टर बने हैं, वे किस पार्टी के सदस्य हैं इस बारे में वह जरा उससे बात करें हम लोग जिस पार्टी के सदस्य बहुत दिनों से हैं उसके ही सदस्य बने रहेंगे हम उन की तरह वक्ती सुभीते के लिए इस प्रकार के अवसरवादी गठबन्धन नहीं करेंगे।

धन्यवाद।

श्री मधु लिमये : दस करोड़ रुपये के घाटे के बारे में मन्त्री महोदय ने एक शब्द भी नहीं कहा है।

श्री दिनेश सिंह : उसके लिए अलग अवसर आयेगा

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That in pursuance of subsection (2) of section 4A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), this House approves of the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2461 dated the 24th July, 1967 regarding levy of export duty on iron ore."

The motion was adopted.

14.27 hrs.

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE BILL

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): Sir.....

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): On a point of order, Sir.

Mr. Deputy-Speaker: Let him move the motion. I will give you an opportunity to raise it.

Shri S. Kundu (Balasore): He cannot make the motion. I strongly object to the introduction of this motion.